

# न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

मिसल संख्या  
16 / 2020

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख रजु  
27.08.2020

निर्णय दिनांक  
10.09.2020

## निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्री शिवराम पुत्र सिरमौहर जाति गुर्जर निवासी कनावर तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री शिवराम पुत्र सिरमौहर जाति गुर्जर निवासी कनावर तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम कनावर तहसील बयाना की बा03 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 758 मे रकबा 0.12 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से चरी कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 10.09.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई । नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा अपने जबाब में अतिक्रमी द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया जाना बताया गया । तथा अपना कब्जा छोडना जाहिर किया । जिसकी जाँच भू.अ.निरीक्षक से करवाई गई । भू.अ.निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट में अतिक्रमी का अतिक्रमण बताया गया है । अतिक्रमी द्वारा उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है ।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री शिवराम पुत्र सिरमौहर जाति गुर्जर निवासी कनावर तह0 बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम कनावर तहसील बयाना की बा03 की भूमि खसरा नम्बर 758 मे रकबा 0.12 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.96 रूपये का 50 गुना राशि 48 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल एवं अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली ,फसल एवं सामग्री जप्ती ,नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा माँग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया

नायब तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)